N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0078 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 28/03/2025 17:14 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 25/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 26/03/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:15 बजे **Time To (समय तक):** 13:53 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/03/2025 **Time (समय):** 15:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 28/03/2025 17:14:13 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 55 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** PARISAR GRAM RUNEEJA,, PANCHYAT SAMITI HINDOLI, BUNDI

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** MAHAVEER SINGH
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** KHAN SINGH

   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1966 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	RUNEEJA, DABLANA, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	RUNEEJA, DABLANA, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MUKHRAJ		पिता:LET.GANPAT	1. RUNEEJA,DABLANA,BUNDI,RA
2	KRISHAN GOPAL		पिता:JAGDISH GURJAR	1. KASHEER,DEOLI,TONK,RAJAS

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		6,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 6,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 25.03.2025 समय 10.15 ए.एम पर परिवादी श्री महावीर सिंह निवासी रूणीजा ने जरिये टेलिफोन चौकी पर सूचना दी कि मै ग्राम रूणीजा पंचायत समिति हिण्डोली का निवासी हूं। मैने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत रूणीजा में प्रार्थना पत्र पेश किया था। उक्त योजना की सूची में मेरा नाम अंकित है। परन्तु ग्राम पंचायत रूणीजा की सरपंच का पति श्री मुखराज गुर्जर एवं सेकेट्री कृष्ण गोपाल मेरे खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जमा करवाने की एवज में 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। मै उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही चाहता हूं। उक्त सूचना पर परिवादी को एसीबी की ट्रेप कार्यवाही की विधि से अवगत कराया गया एवं ग्राम रूणीजा में ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये एवं चौकी हाजा पर पदस्थापित कानिस्टेबल राम सिंह एवं मनोज को परिवादी के मोबाईल नम्बर एवं नाम पते से अवगत कराकर रूणीजा जाकर परिवादी से सम्पर्क कर गोपनीय सत्यापन के निर्देश दिये गये। समय 10.30 ए.एम पर कानि0 रामसिंह 78 व कानि0 मनोज 452 मय डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय निजी मोटर साईकिल के गोपनीय सत्यापन हेतु चौकी से रूणीजा रवाना किया गया। समय 03.00 पी.एम पर कानि0 रामसिंह व मनोज कानि0 मय डिजीटल वॉइस रिकार्डर के वापस चौकी पर आये तथा कानिस्टेबल राम सिंह द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर एवं परिवादी महावीर सिंह द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि मै व मनोज कानिस्टेबल चौकी बून्दी से रवाना होकर मोटर साईकिल से ग्राम रूणीजा मेगा हाईवे मोड पर पहुंचे, जहां पर परिवादी श्री महावीर सिंह उपस्थित मिला जिसने मौखिक रूप से चौकी बून्दी पर ग्राम पंचायत रूणीजा के सरपंच पति मुखराज गुर्जर एवं सेकेट्री कृष्ण गोपाल के विरूद्व रिश्वत मांगने की शिकायत की सूचना देना स्वीकार किया। तत्पश्चात सूचना के अनुसार उक्त दोनो आरोपीगण के विरूद्व कार्यवाही के सम्बन्ध में एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र मुझ कानिस्टेबल राम सिंह को पेश किया। तत्पश्चात निर्देशानुसार परिवादी महावीर सिंह को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाई जाकर ग्राम पंचायत रूणीजा के कार्यालय जाकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु रवाना किया। इस दौरान मै व कानिस्टेबल मनोज ग्राम पंचायत रूणीजा के भवन के पास ही अपनी उपस्थिती छुपाते हुये मौजूद रहे। करीब 35 मिनट बाद परिवादी महावीर सिंह वापस हमारे पास आया तथा बताया कि ग्राम पंचायत के कार्यालय में सेकेट्री कृष्ण गोपाल मौजूद मिला जिसने मुझसे काफी देर तक बातचीत की तथा अंत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिलवाने के लिए सरपंच पति मुखराज से मिलने के लिए कहा। हम दोनो के बीच जो भी वार्ता हुई इस डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। मन कानिस्टेबल राम सिंह द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड को चलाकर सुना गया तो परिवादी के कहे कथनों की पुष्टि हुई। तत्पश्चात परिवादी द्वारा सरपंच पति मुखराज गुर्जर के मोबाईल फोन पर वार्ता की तो सरपंच पति मुखराज द्वारा परिवादी को उसके खेत पर ही बुलाया गया। जिस पर निर्देशानुसार परिवादी को पुनः डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु सरपंच पति मुखराज गुर्जर के पास उसके खेत पर रवाना किया गया। इस दौरान मै व मनोज कानिस्टेबल मुखराज गुर्जर के खेत के आस पास मौजूद रहे। करीब 30 मिनट बाद परिवाद हमारे पास आया तथा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुझ कानिस्टेबल को पेश कर मौखिक रूप से अवगत कराया कि मै डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर मुखराज गुर्जर के खेत पर पहुंचा जहां पर मुखराज गुर्जर व उसकी पत्नि सरमा बाई सरपंच मौजूद मिले। जिनसे मेरी प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जमा करवाने के सम्बन्ध में बातचीत हुई, बातचीत के दौरान मुखराज गुर्जर द्वारा मेरे से 8 हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई। उक्त रिश्वत कृष्ण गोपाल ग्राम विकास अधिकारी के लिए मांगना बताया। इसी दौरान मुखराज गुर्जर द्वारा मुझसे 2 हजार रूपये बातचीत के दौरान प्राप्त किये तथा शेष रिश्वत राशि 6 हजार रूपये कल लेना तय हुआ है। परिवादी से प्राप्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को चला कर सुना गया तो परिवादी के कथनो की पुष्टि होना पाया गया। परिवादी ने मौखिक रूप से अवगत कराया कि मै अभी बून्दी चलने में असमर्थ हूं, कल ट्रेप कार्यवाही हेतु रिश्वत राशि की व्यवस्था कर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर निर्देशानुसार परिवादी को गोपनीयता रखने के निर्देश देकर मौके पर छोडा गया तथा मै व कानि मनोज रवाना होकर कार्यालय आये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानिस्टेबल राम सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओ को सुना गया तो ग्राम पंचायत रूणीजा की सरपंच सरमा बाई के पति मुखराज गुर्जर द्वारा परिवादी महावीर सिंह को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिलवाने की एवज में 8 हजार रिश्वत मांग कर 2 हजार

रूपये दौराने सत्यापन प्राप्त किये गये एवं शेष रिश्वत राशि 6 हजार रूपये कल दिनांक 26.03.2025 को लेना तय हुआ है। अतः आईन्दा परिवादी के उपस्थित होने पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जावेगा। समय 04.00 पी.एम पर दिनांक 26.03.2025 को ट्रेप कार्यवाही होना सम्भावित है इसलिए ट्रेप की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की दिनांक 26.03.2025 को समय 9.30 एएम पर तलबी हेतु कानि राम सिहं को तहरीर दी जाकर कार्यालय जन स्वास्थ्य विभाग नगर उपखण्ड बून्दी रवाना किया गया । समय 05.00 पी.एम पर श्री राम सिंह कानि 78 कार्यालय जन स्वास्थ्य विभाग नगर उपखण्ड बून्दी से वापस आये और बताया कि दिनांक 26.03.2025 को समय 9.30 एएम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो गवाह कार्यालय में उपस्थित होने बाबत पाबन्द कर दिये गये है। गवाह पाबन्द पत्र की प्रति पेश की गई, जिसे शामिल कार्यवाही किया गया। दिनांक 26.03.2025 समय 9.30 एएम पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री महावीर सिंह उपस्थित कार्यालय एसीबी चौकी बून्दी आया। जिससे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 25.03.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में पूछताछ की तो परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं के परिचित से टाईप करवाकर पेश करना बताया तथा मौखिक रूप से अवगत कराया कि मै गरीब आदमी हूं तथा जयपुर में मजदूरी करता हूं। मेरा ग्राम रूणीजा में कच्चा मकान है, मैने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ग्राम पंचायत रूणीजा में पेश किया था। उक्त योजना की सूची में मेरा नाम भी अंकित है। परन्तु सेकेट्री कृष्ण गोपाल एवं सरपंच पति मुखराज गुर्जर उक्त योजना का लाभ दिलवाने के लिए मेरे से 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। जिसकी सूचना मैने कल आपकी चौकी पर दी थी तथा सत्यापन के दौरान उक्त दोनो आरोपीगण की बातचीत की रिकोर्डिंग भी की है। सत्यापन के दौरान कल सरपंच पति मुखराज ने मुझसे 2 हजार रूपये रिश्वत के प्राप्त कर लिये तथा शेष 6 हजार रूपये आज लेना तय हुआ है। मै आज रिश्वत में दी जाने वाली राशि 6 हजार रूपये की व्यवस्था करके लाया हूं। परिवादी को कार्यालय में मुकीम रहने की हिदायत दी गई। समय 9.40 एएम पर कार्यालय जन स्वास्थ्य विभाग नगर उपखण्ड बून्दी से स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार मीणा पुत्र श्री भंवर लाल उम्र 49 साल जाति मीणा निवासी ग्राम लाडपुर तहसील तालेडा जिला बून्दी हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जन स्वास्थ्य विभाग नगर उपखण्ड बून्दी मोबाईल नम्बर [redacted] श्री दीपक भाटी पुत्र श्री भरोस कुमार भाटी उम्र 35 साल जाति माली निवासी मीरागेट होली का खूट बून्दी हाल वरिष्ठ सहायक, जन स्वास्थ्य विभाग नगर उपखण्ड बून्दी, मोबाईल नम्बर [redacted] उपस्थित कार्यालय आये। समय 10.00 एएम पर प्रकरण में कार्यवाही की पत्रावली मय रिकोर्ड वार्ताओ के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री हरीश भारती, उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया गया। समय 10.15 एएम पर प्रकरण में परिवादी महावीर सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रिकोर्ड वार्ताओं का डिजिटल वाईस रिकोर्डर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशानुसार मन पुलिस उप अधीक्षक को प्राप्त हुआ। प्रकरण में परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.03.2025 में अंकित तथ्यों एवं गोपनीय सत्यापन दिनांक 25.03.2025 की रिकोर्ड वार्ताओं के आधार पर आरोपी सरपंच पति मुखराज गुर्जर द्वारा परिवादी महावीर सिंह से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की एवज में सत्यापन के दौरान 2 हजार रूपये प्राप्त करना एवं 6 हजार रूपये की और मांग करने की स्पष्ट पुष्टि होना पाया गया। प्रकरण में परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह चौकी हाजा पर उपस्थित है। मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी महावीर सिंह से पूछताछ की तो शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.03.2025 स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत करना स्वीकार किया एवं रिकोर्ड वार्ताओं में एक आवाज स्वयं की एवं अन्य आवाजे आरोपी सरपंच पति व ग्राम विकास अधिकारी की होना बताया। अतः प्रकरण में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जावेगा। कार्यालय पर उपस्थित परिवादी महावीर सिंह एवं स्वतंत्र गवाहो का आपस में परिचय करवाया गया। स्वतंत्र गवाहो को परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं सत्यापन रिकोर्ड वार्ताओ को सुनाया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहो द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु सहमति प्रदान कर अपने अपने हस्ताक्षर किये गये। समय 11.00 ए.एम पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी महावीर सिंह पुत्र खान सिंह उम्र 59 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम पंचायत रूणिजा थाना दबलाना तह0 हिण्डोली जिला बून्दी ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 12 नोट कुल राशि 6,000 रूपये मन उप अधीक्षक हरीश भारती के समक्ष पेश किये। नोटो के नम्बर इस प्रकार है - क्र.स. नोट का विवरण नोट का नम्बर 1 एक नोट पांच सौ रूपये 3KD 807075 2 एक नोट पांच सौ रूपये 1FK 976112 3 एक नोट पांच सौ रूपये 4KU 370572 4 एक नोट पांच सौ रूपये 7KD 978388 5 एक नोट पांच सौ रूपये 5HQ 419497 6 एक नोट पांच सौ रूपये 5RP 778387 7 एक नोट पांच सौ रूपये 6BE 830919 8 एक नोट पांच सौ रूपये 5KN 187322 9 एक नोट पांच सौ रूपये 3PK 518109 10 एक नोट पांच सौ रूपये 5EM 583964 11 एक नोट पांच सौ रूपये 4KV 872531 12 एक नोट पांच सौ रूपये 1AA 158114 उक्त नोटों के नम्बर मन् उप अधीक्षक एवं गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटो के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि 106 से कार्यालय के मालखाना से फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाई गई तथा मन् उप अधीक्षक के चेम्बर की टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त नोटों को रखकर सभी नोटो पर श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि 106 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री महावीर सिंह सोलंकी की जामा तलाशी गवाह श्री दिनेश कुमार मीणा से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गई। तत्पश्चात परिवादी श्री महावीर सिंह के

पहनी हुयी शर्ट की जेब में उक्त फिनोप्थलीन पाउडर युक्त नम्बरी नोटो को श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि 106 से रखवाये गये। तत्पश्चात एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि 106 की फिनोफ्थलीन युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी श्री महावीर सिंह व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी अधिकारी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि 106 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस मालखाना में रखवाई गई तथा जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था, उस अखबार को जलवाया गया। श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि 106 के दोनों हाथों को साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद मन् उप अधीक्षक, परिवादी, गवाहान के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप बॉक्स में रखी खाली शीशीया, ढक्कन व चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गई। परिवादी श्री महावीर सिंह को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाया गया। परिवादी श्री महावीर सिंह को समझाइश की गई कि आरोपी अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने के बाद स्वयं के मोबाईल नम्बर से मन् उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिसकॉल करें अथवा अपने सिर पर हाथ फेरकर टीम सदस्यों की ओर इशारा करें। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी के आसपास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का प्रयास करें। उक्त दृष्टांत कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। समय 11.50 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही के क्रम में सरकारी वाहन बोलेरो में श्रीमती प्रेरणा शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जाप्ता श्री रामसिहं कानि, श्री विक्रम कानि एवं दोनो स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार मीणा, श्री दीपक भाटी मय परिवादी श्री महावीर सिंह मय चालक श्री प्रेम प्रकाश के एवं मन उप अधीक्षक पुलिस, मय श्री ज्ञानचन्द, उप अधीक्षक पुलिस जाप्ता श्री मनोज कानि. व श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, ईयरफोन एवं ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली अन्य सामग्री के साथ प्राइवेट वाहन से रूणीजा रवाना हुयें। समय 1.20 पी.एम पर मन् उप पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ते के सरकारी वाहन बोलेरो व प्राइवेट वाहन से मेगा हाईवे रूणीजा मोड के पास पहुंचे, जहां परिवादी महावीर सिंह को डिजीटल वाइस रिकार्डर देकर ग्राम पंचायत रूणीजा के सरपंच पति के पास ग्राम रूणीजा से मेगा हाईव की दूसरी तरफ खेत पर आरोपी सरपंच पति के पास रिश्वत लेन-देन हेतु रवाना किया तथा श्री राम सिंह कानि. 78 व श्री मनोज कुमार कानि. 452 को परिवादी से कुछ दूरी पर मुकीम रहकर निगरानी करने के निर्देश देकर रवाना किया तथा श्रीमती प्रेरणा शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय विक्रम कानि मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 के सरकारी वाहन बोलेरो एवं दुसरे प्राइवेट वाहन में मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री ज्ञानचन्द उप पुलिस अधीक्षक एवं एसीबी जाप्ता श्रीमती टिंक कवंर महिला कानि. 474 के अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मेगा हाईवे रोड पर साइड में परिवादी/ राम सिंह व मनोज कानि की सूचना की प्रतीक्षा में मुकीम रहे तथा कार्यवाही की विडियोंग्राफी हेतु श्रीमती टिंकू महिला कानि को निर्देशित किया गया। समय 1.53 पी.एम. पर श्री मनोज कानि. 452 ने जरिये फोन वार्ता कर आरोपी सरपंच पति मुखराज द्वारा परिवादी श्री महावीर सिंह से रिश्वत प्राप्त कर लेने के सम्बन्ध में सूचित किया। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने आस पास मुकीम ब्यूरो टीम मय स्वतंत्र गवाह को एकत्रित कर मय वाहनो के ग्राम रूणीजा मोड मेगा हाईवे से रवाना होकर आरोपी के खेत पर पहुंचे, जहां पर परिवादी महावीर सिंह सोलंकी उपस्थित मिला जिसनें मन पुलिस उप अधीक्षक को अवगत कराया कि आरोपी सरपंच पति मुखराज ने मेरे से 6 हजार रूपये रिश्वत प्राप्त कर अपने कुर्ते की जेब में रखे है तथा सरकारी डिवाईस मैने बंद करके मनोज कानिस्टेबल को पेश कर दिया। मौके पर उपस्थित श्रीमती प्रेरणा शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी सरपंच पति मुखराज से परिवादी से प्राप्त रिश्वत के बारे में पूछा तो प्रारम्भ में आरोपी द्वारा परिवादी से किसी प्रकार की रिश्वत राशि प्राप्त नही करना बताया। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि उन्होने मेरे से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए सचिव से मिलीभगत कर 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर थी। जिसमें से 06 हजार रूपये प्राप्त कर अपने कुर्ते की जेब में रखे है। जिस पर आरोपी से पुनः पूछताछ की तो आरोपी द्वारा पास में पेड की टहनी पर रखे कुर्ते की जेब में रिश्वत राशि होना बताया। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री दीपक भाटी से पेड की टहनी पर रखे आरोपी के कुर्ते की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी के कुर्ते की दाहिनी जेब से परिवादी से ली गई रिश्वत की राशि 6 हजार रूपये बरामद हुये। उक्त नोटो को स्वतंत्र गवाह श्री दीपक भाटी के पास सुरक्षित रखवाया गया। मौके पर उपस्थित आरोपी से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 6 हजार रूपये के बारे में पूछा तो आरोपी मुखराज गुर्जर ने बताया कि यह राशि मैने मेरे लिए नही ली है, सचिव ग्राम पंचायत रूणीजा श्री कृष्ण गोपाल के कहने पर ली है। उक्त तथ्य के सत्यापन हेतु आरोपी मुखराज गुर्जर के मोबाईल नम्बर [redacted] से समय 2.06 पीएम पर ग्राम पंचायत रूणीजा के सचिव श्री कृष्ण गोपाल के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मोबाईल का स्पीकर वार्ता

करवाई गई। वार्ता के दौरान आरोपी श्री मुखराज द्वारा ग्राम सचिव से कथन किया कि (वो महावीर जी का काम कर देना, उसके आ गये है, तब सचिव द्वारा ठीक है कहता है) वार्ता के क्रम में मुखराज द्वारा कृष्ण गोपाल सचिव से कहा गया कि 6 हजार आये है तो सचिव द्वारा ठीक कहकर फोन काट दिया गया। उक्त वार्ता को सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी। आरोपी मुखराज गुर्जर के मोबाईल फोन को बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरों लिया गया। कार्यवाही के क्रम में सत्यापन एवं रिकोर्ड वार्ताओ से श्री कृष्ण गोपाल ग्राम विकास अधिकारी की संलिप्तता पाई गई है। अतः उक्त आरोपी को डिटेन करने हेतु श्री ज्ञानचन्द, उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता के ग्राम पंचायत रूणीजा रवाना किया तथा मौके पर कार्यवाही हेतु विधुत एवं आवास व अन्य भवन की व्यवस्था नही होने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशानुसार मन पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता मय डिटेनशुदा श्री मुखराज गुर्जर मय जप्तशुदा रिश्वत राशि एवं आर्टिकल के अग्रिम कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत रूणीजा रवाना हुआ। समय 2.25 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय शेष जाप्ता मय डिटेनशुदा श्री मुखराज गुर्जर के ग्राम पंचायत भवन रूणीजा पहुंचा। जहां पर श्री ज्ञानचन्द, पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा श्री कृष्ण गोपाल ग्राम विकास अधिकारी को डिटेन किया हुआ था। समय 2.30 पीएम पर आरोपी सरपंच पति मुखराज गुर्जर के कुर्ते की जेब से बरामशुदा रिश्वत राशि 6 हजार रूपये स्वतंत्र गवाह श्री दीपक भाटी के पास से प्राप्त कर नोटों पर अंकित नम्बरो का मिला स्वतंत्र गवाह दीपक भाटी से फर्द पेशकशी व दृष्टांत में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया तो गवाहान ने नोटो के नम्बर फर्द में अंकित नोटों के नम्बरां से मिलान किये तो सभी नोट हु ब हु रिश्वती राशि के नोट होना पाया गया। उक्त नोटो का विवरण अंकित कर एक लिफाफे में रखवाया जाकर श्री राम सिंह कानि 78 को सुपुर्द किये गये। इसके बाद आरोपी मुखराज गुर्जर के हाथों का धोवन लिया जाने आवश्यक होने से साफ पानी की बोतल मंगवाकर दो साफ प्लास्टिक के गिलासों में पानी भरवाकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। पहले गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी मुखराज गुर्जर के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा-आधा डालकर शीशियो को सील मुहर किया जाकर मार्क एल.एच-1, एल.एच-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। दूसरे गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी मुखराज गुर्जर के दायें हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा- आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क आर.एच-1, आर.एच-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी मुखराज गुर्जर के कुर्ते की दाहिनीं जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई है, उक्त जेब के धोवन लेने हेतु एक गिलास में पानी भरवाकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त गिलास में आरोपी मुखराज गुर्जर के कुर्ते की दाहिनीं जेब का धोवन किया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया । जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा- आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क के-1, के-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी के कब्जे से बरामद एक मोबाईल रेडमी कम्पनी का बरंग आसमानी मिला जिसमें आरोपी द्वारा दो सिमें उपयोग में लेना बताया एक सिम के नम्बर [redacted] एवं दूसरी सिम के नम्बर [redacted] होना बताया। उक्त मोबाईल से परिवादी एवं आरोपी के मध्य ट्रेप कार्यवाही से पूर्व में बातचीत होना सामने आया है एवं इसी मोबाईल से अन्य आरोपी श्री किशन गोपाल से बातचीत कर वार्ता को रिकोर्ड किया गया है। अतः मोबाईल को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क-एम अंकित किया गया। मौके पर उपस्थित श्री कृष्ण गोपाल गुर्जर ग्राम विकास अधिकारी से आरोपी मुखराज गुर्जर के माध्यम से परिवादी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की एवज में रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछताछ की तो श्री कृष्ण गोपाल ने बताया कि महावीर सिंह सोंलकी कल दिनांक 25.03.2025 को मेरे पास प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी प्राप्त करने आया था। जिसको मैने सरपंच साहब श्रीमती सरमा बाई के पति मुखराज गुर्जर से मिलने को कहा था, क्योकि सरपंच सरमा बाई का काम उनके पति मुखराज गुर्जर ही देखते है। इसके बाद आज कुछ समय पहले मुखराज गुर्जर का मेरे मोबाईल पर फोन आया था तथा श्री मुखराज गुर्जर ने बताया था कि महावीर सिंह जी का काम कर देना उनके मेरे पास 6 हजार रूपये आ गये है इस पर मैने ठीक कहकर फोन काट दिया था। श्री कृष्ण गोपाल ग्राम विकास अधिकारी से ग्राम पंचायत रूणीजा के क्षेत्राधिकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की सूची चाही गई तो अपने बैग में से 03 पेज की एक प्रिन्टशुदा सूची निकालकर मन पुलिस उप अधीक्षक को पेश की। सूची में क्रम संख्या 127 पर परिवादी महावीर सिंह का बतौर लाभार्थी नाम अंकित है। उक्त सूची पर स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वहज सबूत शामिल कार्यवाही की गई। ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्ण गोपाल से परिवादी महावीर सिंह द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति चाही गई तो श्री कृष्ण गोपाल ने बताया कि सारे आवेदन पत्र सरपंच साहब के पास है, जिस पर कार्यालय में उपस्थित श्रीमती पार्वती मीणा कनिष्ठ सहायक से परिवादी का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा तो श्रीमती पार्वती मीणा द्वारा सरपंच के घर से परिवादी महावीर सिंह का आवेदन पत्र कुल 08 पेज पेश किया, जिसके प्रथम पृष्ठ पर स्वतंत्र गवाह एवं पेशकर्ता श्रीमती पार्वती मीणा के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। उक्त आवेदन पत्र के प्रथम पेज पर आरोपी कृष्ण

गोपाल द्वारा वरीयता क्रमांक व आईडी स्वयं के हस्तलेख में अंकित की गई। तत्पश्चात आरोपी कृष्ण गोपाल, ग्राम विकास अधिकारी के कब्जे से बरामद एक मोबाईल रियलमी कम्पनी का बरंग गोल्डन मिला जिसमें आरोपी द्वारा दो सिमें उपयोग में लेना बताया एक सिम के नम्बर [redacted] एवं दूसरी सिम के नम्बर [redacted] होना बताया। उक्त मोबाईल से ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी सरपंच पति श्री मुखराज गुर्जर एवं आरोपी कृष्ण गोपल के मध्य रिश्वत लेनदेन के सम्बन्ध में वार्ता हुई है एवं उक्त वार्ता को सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया है। अतः मोबाईल को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क-एम-1 अंकित किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री मुखराज पुत्र स्व. गणपत जाति गुर्जर उम्र 50 साल निवासी रूणीजा थाना दबलाना जिला बून्दी हाल सरपंच पति ग्राम पंचायत रूणीजा, पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी एवं आरोपी श्री कृष्ण गोपाल पुत्र श्री जगदीश गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासी काशीर थाना देवली जिला टोंक हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रूणिजा पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा आपसी मिलीभगत कर परिवादी श्री महावीर सिंह सोलंकी पुत्र श्री खान सिंह जाति राजपूत उम्र 59 साल निवासी रूणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने की एवज में रिश्वत की मांग कर 6 हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई। तत्पश्चात श्री कृष्ण गोपाल ग्राम विकास अधिकारी से ग्राम पंचायत रूणीजा के क्षेत्राधिकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की सूची चाही गई तो अपने बैग में से 03 पेज की एक प्रिन्टशुदा सूची निकालकर मन पुलिस उप अधीक्षक को पेश की। सूची में क्रम संख्या 127 पर परिवादी महावीर सिंह का बतौर लाभार्थी नाम अंकित है। उक्त सूची पर स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वहज सबूत शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्ण गोपाल से परिवादी महावीर सिंह द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति चाही गई तो श्री कृष्ण गोपाल ने बताया कि सारे आवेदन पत्र सरपंच साहब के पास है, जिस पर कार्यालय में उपस्थित श्रीमती पार्वती मीणा कनिष्ठ सहायक से परिवादी का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा तो श्रीमती पार्वती मीणा द्वारा सरपंच के घर से परिवादी महावीर सिंह का आवेदन पत्र कुल 08 पेज पेश किया, जिसके प्रथम पृष्ठ पर स्वतंत्र गवाह एवं पेशकर्ता श्रीमती पार्वती मीणा के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। उक्त आवेदन पत्र के प्रथम पेज पर आरोपी कृष्ण गोपाल द्वारा वरीयता क्रमांक व आईडी स्वयं के हस्तलेख में अंकित की गई। कार्यवाही के क्रम में आरोपी कृष्ण गोपाल, ग्राम विकास अधिकारी के कब्जे से बरामद एक मोबाईल रियलमी कम्पनी का बरंग गोल्डन मिला जिसमें आरोपी द्वारा दो सिमें उपयोग में लेना बताया एक सिम के नम्बर [redacted] एवं दूसरी सिम के नम्बर [redacted] होना बताया। उक्त मोबाईल से ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी सरपंच पति श्री मुखराज गुर्जर एवं आरोपी कृष्ण गोपल के मध्य रिश्वत लेनदेन के सम्बन्ध में वार्ता हुई है एवं उक्त वार्ता को सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया है। अतः मोबाईल को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क-एम-1 अंकित किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री मुखराज पुत्र स्व.ं गणपत जाति गुर्जर उम्र 50 साल निवासी रूणीजा थाना दबलाना जिला बून्दी हाल सरपंच पति ग्राम पंचायत रूणीजा, पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी एवं आरोपी श्री कृष्ण गोपाल पुत्र श्री जगदीश गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासी काशीर थाना देवली जिला टोंक हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रूणिजा पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा आपसी मिलीभगत कर परिवादी श्री महावीर सिंह सोलंकी पुत्र श्री खान सिंह जाति राजपूत उम्र 59 साल निवासी रूणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने की एवज में रिश्वत की मांग कर 6 हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई। उपरोक्त दोनो आरोपीगण का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2) बीएनएस में दण्डनीय अपराध पाया गया। कार्यवाही के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया आरोपी कृष्ण गोपाल के आवास की तलाशी हेतु मौके से रवाना हुई। समय 05.10 पी.एम पर आरोपी मुखराज पुत्र गणपत निवासी रूणीजा हाल सरपंच पति ग्राम पंचायत रूणीजा को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 25.03.2025 द्वितीय व दिनांक 26.03.2025 की रिश्वत लेन-देन वार्ता को लेपटॉप के जरिये चलाकर वार्ताओं के अंश सुनाये गये एवं आरोपी मुखराज गुर्जर को अपनी आवाज का नमूना दिये जाने के सम्बंध में गवाहान के समक्ष लिखित में जरिये फर्द नोटिस दिया गया तो आरोपी मुखराज गुर्जर ने अपने प्रत्युत्तर में लिखित में जवाब पेश किया कि "मैं अपनी स्वैच्छा से आवाज का नमूना नही देना चाहता हूॅं।" नोटिस पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 05.30 पी.एम पर आरोपी कृष्ण गोपाल पुत्र जगदीश निवासी काशीर जिला टोंक हाल ग्राम विकास अधिकारी रूणीजा को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 25.03.2025 प्रथम व दिनांक 26.03.2025 की रिश्वत लेन-देन मोबाईल वार्ता को लेपटॉप के जरिये चलाकर वार्ताओं के अंश सुनाये गये एवं आरोपी कृष्ण गोपाल को अपनी आवाज का नमूना दिये जाने के सम्बंध में गवाहान के समक्ष लिखित में जरिये फर्द नोटिस दिया गया तो आरोपी कृष्ण गोपाल ने अपने प्रत्युत्तर में लिखित में जवाब पेश किया कि "मैं अपनी स्वैच्छा से आवाज का नमूना नही देना चाहता हूं। नोटिस पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 05.40 पी.एम. पर आरोपी मुखराज पुत्र स्व. गणपत जाति गुर्जर उम्र 50 साल निवासी रूणीजा थाना दबलाना जिला बून्दी हाल सरपंच पति ग्राम पंचायत रूणीजा, पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित

2018) व धारा 61(2) बीएनएस का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जरिये फर्द आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत ब्यूरो लिया गया। समय 06.00 पी.एम. पर आरोपी श्री कृष्ण गोपाल पुत्र श्री जगदीश गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासी काशीर थाना देवली जिला टोंक हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रूणिजा पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) बीएनएस का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जरिये फर्द आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत ब्यूरो लिया गया। समय 6.15 पी.एम. पर मौके की कार्यवाही के बाद मन् उप पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा एसीबी जाप्ते के आरोपी मुखराज गुर्जर व कृष्ण गोपाल को हमराह लेकर एवं जप्तशुदा रिश्वत राशि मय आर्टिकल लेकर सरकारी/प्राइवेट वाहनों से एसीबी कार्यालय बून्दी रवाना हुआ। समय 7.30 पी.एम. पर मौके की कार्यवाही के बाद मन् उप पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा एसीबी जाप्ते के आरोपी मुखराज गुर्जर व कृष्ण गोपाल को हमराह लेकर एवं जप्तशुदा रिश्वत राशि मय आर्टिकल लेकर सरकारी/प्राइवेट वाहनों से एसीबी कार्यालय बून्दी आये तथा मुल्जिमान को जाप्ते की निगरानी में बैठाकर जप्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही में व्यस्त हुआ। समय 7.45 पी.एम. पर परिवादी श्री महावीर सिंह तथा आरोपी कृष्ण गोपाल ग्राम विकास अधिकारी के मध्य दिनांक 25.03.2025 को हुई रिश्वत मांग वार्ता प्रथम जो मूल डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकार्डशुदा वार्ता की पहचान परिवादी महावीर सिहं से करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी कृष्ण गोपाल ग्राम विकास अधिकारी की होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्रीमती टिंकू महिला कानि 474 से तैयार करवाई जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 11.00 पी.एम. पर परिवादी श्री महावीर सिंह तथा आरोपी मुखराज गुर्जर सरपंच पति के मध्य दिनांक 25.03.2025 को हुई रिश्वत मांग वार्ता द्वितीय जो मूल डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकार्डशुदा वार्ता की पहचान परिवादी महावीर सिहं से करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी मुखराज गुर्जर सरपंच पति की एवं अन्य आवाज सरपंच श्रीमती सरमा बाई गुर्जर की होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्रीमती टिंकू महिला कानि 474 से तैयार करवाई जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 27.03.2025 समय 2.00 ए.एम. पर परिवादी श्री महावीर सिंह तथा आरोपी मुखराज गुर्जर सरपंच पति के मध्य दिनांक 26.03.2025 को हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता जो मूल डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकार्डशुदा वार्ता की पहचान परिवादी महावीर सिहं से करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी मुखराज गुर्जर सरपंच पति की एवं लेनदेन के दौरान फोन पर हुई वार्ता में तीसरी आवाज आरोपी सचिव कृष्ण गोपाल की होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्रीमती टिंकू महिला कानि 474 से तैयार करवाई जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 4.00 ए.एम. पर आरोपी मुखराज गुर्जर सरपंच पति के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी कृष्ण गोपाल ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर दिनांक 26.03.2025 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान मोबाईल फोन पर रिश्वत लेनदेन के सम्बन्ध में हुई वार्ता जो मूल डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकार्डशुदा वार्ता की पहचान परिवादी महावीर सिहं से करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने एक आवाज आरोपी मुखराज गुर्जर सरपंच पति की तथा दूसरी आवाज आरोपी कृष्ण गोपाल ग्राम विकास अधिकारी की होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्रीमती टिंकू महिला कानि 474 से तैयार करवाई जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 12.25 पी.एम. पर परिवादी श्री महावीर सिंह तथा आरोपी कृष्ण गोपाल ग्राम विकास अधिकारी के मध्य दिनांक 25.03.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम जो मूल डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड है व परिवादी श्री महावीर सिंह तथा आरोपी मुखराज गुर्जर सरपंच पति के मध्य दिनांक 25.03.2025 को को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय जो मूल डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड है एवं दिनांक 26.03.2025 को हुई वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता जो मूल डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड है तथा दिनांक 26.03.2025 को आरोपी मुखराज गुर्जर व आरोपी कृष्ण गोपाल ग्राम विकास अधिकारी के मध्य रिश्वत लेनदेन के सम्बन्ध में हुई मोबाईल वार्ता जो मूल डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड सहित कुल 4 रिकार्ड वार्ताओं को परिवादी महावीर सिंह द्वारा ए0सी0बी0 बून्दी के मूल डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। श्री मनोज कुमार कानि 452 से मेरे निर्देशन में सरकारी लेपटॉप की मदद से मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड चारों वार्ताओं को 04 पेन ड्राईव कार्ड में पृथक-पृथक डब्ड (ब्वचल) किया गया। एवं कार्यवाही की फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई एवं मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर एवं डब्डशुदा पेन ड्राईव की हैश वेल्यू मनोज कुमार कानि 452 से निकलवा कर शामिल पत्रावली की गई। समय 12.40 पी.एम. पर आरोपी श्री मुखराज

पुत्र स्व.ं गणपत जाति गुर्जर उम्र 50 साल निवासी रूणीजा थाना दबलाना जिला बून्दी हाल सरपंच पति ग्राम पंचायत रूणीजा, पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा परिवादी महावीर सिहं से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के उपरांत बरामदगी की कार्यवाही की विडियोग्राफी श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि. 474 द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में मोबाईल में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया है। जिसे सरकारी लेपटॉप के माध्यम से मूल मैमोरी कार्ड से 03 पृथक-पृथक पेन ड्राईव में लिया जाकर कॉपी (copy) किया गया है। उक्त मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय के लिए एवं डब्डशुदा दो पेन ड्राईव आरोपी गण के लिए पृथक-पृथक कपडे की थैली में रखकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। कार्यवाही की फर्द तैयार की गई। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपीगण श्री मुखराज पुत्र स्व.ं गणपत जाति गुर्जर उम्र 50 साल निवासी रूणीजा थाना दबलाना जिला बून्दी हाल सरपंच पति ग्राम पंचायत रूणीजा, पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी एवं आरोपी श्री कृष्ण गोपाल पुत्र श्री जगदीश गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासी काशीर थाना देवली जिला टोंक हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रूणिजा पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा आपसी मिलीभगत कर परिवादी श्री महावीर सिंह सोलंकी पुत्र श्री खान सिंह जाति राजपूत उम्र 59 साल निवासी रूणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने की एवज में 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई। जिसकी शिकायत परिवादी द्वारा दिनांक 25.03.2025 को एसीबी चौकी बून्दी पर लिखित रूप में प्रस्तुत की गई। उपरोक्त प्राप्त शिकायत का दिनांक 25.03.2025 को प्रथम एवं द्वितीय गोपनीय सत्यापन करवाने पर सत्यापन के दौरानन आरोपी मुखराज गुर्जर द्वारा परिवादी से 2 हजार रूपये रिश्वत प्राप्त करने एवं शेष रिश्वत राशि मांग करने की पुष्टि होना पाया गया। सत्यापन उपरान्त दिनांक 26.03.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी मुखराज पुत्र स्व. गणपत जाति गुर्जर उम्र 50 साल निवासी रूणीजा थाना दबलाना जिला बून्दी हाल सरपंच पति ग्राम पंचायत रूणीजा, पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी को परिवादी श्री महावीर सिंह से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने की एवज में 6,000 रूपये रिश्वत प्राप्त करने के पश्चात आरोपी को रंगे हाथ पकडा जाकर रिश्वत राशि आरोपी के कुर्ते की दाहिनें जेब से बरामद की गई है। मौके पर उपस्थित आरोपी से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 6 हजार रूपये के बारे में पूछा तो आरोपी मुखराज गुर्जर ने बताया कि यह राशि मैने मेरे लिए नही ली है, सचिव ग्राम पंचायत रूणीजा श्री कृष्ण गोपाल के कहने पर ली है। उक्त तथ्य के सत्यापन हेतु आरोपी मुखराज गुर्जर के मोबाईल नम्बर [redacted] से समय 2.06 पीएम पर ग्राम पंचायत रूणीजा के सचिव श्री कृष्ण गोपाल के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मोबाईल का स्पीकर वार्ता करवाई गई। वार्ता के दौरान आरोपी श्री मुखराज द्वारा ग्राम सचिव से कथन किया कि (वो महावीर जी का काम कर देना, उसके आ गये है, तब सचिव द्वारा ठीक है कहता है) वार्ता के क्रम में मुखराज द्वारा कृष्ण गोपाल सचिव से कहा गया कि 6 हजार आये है तो सचिव द्वारा ठीक कहकर फोन काट दिया गया। उक्त वार्ता को सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। परिवादी श्री महावीर सिंह तथा आरोपी मुखराज गुर्जर सरपंच पति के मध्य दिनांक 25.03.2025 को हुई रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय जो मूल डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्डषुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकार्डषुदा वार्ता की पहचान परिवादी महावीर सिहं से करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी मुखराज गुर्जर की एवं अन्य आवाज सरपंच श्रीमती सरमा बाई गुर्जर की होना पहचान किया तथा परिवादी द्वारा रिष्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी मुखराज गुर्जर को उसकी पत्नि ग्राम पंचायत रूणीजा सरपंच श्रीमती सरमा बाई गुर्जर की मौजूदगी में बतौर 2 हजार रूपये देना सामने आया है एवं वार्ता में श्रीमती सरमा बाई के कथन भी रिकॉर्ड है, इस सम्बन्ध में श्रीमती सरमा बाई सरपंच की आपराधिक भूमिका विस्तृत अनुसंधान के पष्चात स्पष्ट हो सकेगी। आरोपी मुखराज गुर्जर सरपंच पति के दोनों हाथों धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ है। ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री मुखराज पुत्र स्व. गणपत जाति गुर्जर उम्र 50 साल निवासी रूणीजा थाना दबलाना जिला बून्दी हाल सरपंच पति ग्राम पंचायत रूणीजा, पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी एवं आरोपी श्री कृष्ण गोपाल पुत्र श्री जगदीश गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासी काशीर थाना देवली जिला टोंक हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रूणिजा पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं धारा 61(2) बीएनस का अपराध प्रमाणित पाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रनिब्यूरो जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (हरीश भारती) उप पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हरीश भारती ,उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं धारा 61(2) बीएनस में आरोपी 1.श्री मुखराज पुत्र स्व. गणपत जाति गुर्जर उम्र 50 साल निवासी रूणीजा थाना दबलाना जिला बून्दी हाल सरपंच पति ग्राम पंचायत रूणीजा, पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी 2.श्री कृष्ण गोपाल पुत्र श्री जगदीश गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासी काशीर थाना देवली जिला टोंक हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रूणिजा पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई।

उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती चन्द्रकंवर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईंटे कोटा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 423 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 459-62 दिनांक 28-03-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिला परिषद,बून्दी। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। ....

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Chandra Kanwar Tanwar **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 28/03/2025 17:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1975				
2	Male	02/01/1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है I)